संख्या- 67 /X-2-2012-12(31)/2007

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 **देहरादून : दिनांक** 30 मार्च, 2012

विषयः-अनुदान सं0-27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनियानित योजना-"13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण" के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 की वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1544/3-10(13वां वित्त आयोग) दिनांक 28 मार्च, 2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत संचालित **"13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण"** योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में पूर्व में निर्गत **₹1668.00 लाख** की धनराशि के अतिरिक्त संलग्न-बीएम-15 प्रपत्र पर अंकित विवरणानुसार ₹210.28 लाख का पुर्नविनियोग करते हुए **₹2,10,28,000/-(दो करोड़ दस लाख अठाइस हजार मात्र)** की धनराशि उक्त पत्र/प्रस्ताव दिनांक 28 मार्च, 2012 के साथ संलग्न किये गये वन प्रभागवार अतिरिक्त अग्रिम मृदा कार्यों हेतु निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय करने के लिए आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु समक्ष स्तर से अनुमोदित कार्ययोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो/मदों पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय.

(2) 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण योजना में निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति से कराये जाने वाले कार्य भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग डिविजन के पत्र संख्या F.9(1) FCD/2010 दिनांक 07-09-2010 के द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश के अनुसार की जायेगी तथा इसका व्यय नियंत्रण, अनुश्रवण एवं लेखा परीक्षा आदि कार्य भी उपरोक्त दिशानिर्देश के अनुसार ही किये जाने आवश्यक एवं अनिवार्य होंगे।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7, आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(4) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.

(5) बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्ण माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.

(6) यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो, परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का आहरण वास्तविक मांग आधार पर किश्तों में किया जाय.

(7) व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के समबन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(8) मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चि किया जाय.

(10) अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

क्रमशः.....2

(11) निर्माण कार्यों के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व संघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर-211(डी) की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.

(12)निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथा आवश्यतानुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-1638/XXX-1-12(25)/2011 दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वैब साइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वैब साइट यदि कोई हो पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा.

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान सं0-27 के लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 01-09-"**13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण**" योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा:-

(धनराशि ₹ हजार में)

क0 सं0	मानक मद	बजट प्रावधान	पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति	वर्तमान वित्तीय स्वीकृति	अभ्युक्ति
1	24-वृहत निर्माण कार्य	60000	129351	21028	रू0 (+)21028 का पुनर्विनियोग संलग्न बी0एम0-15 के अनुसार
	योग	166800	129351	21028	

(वर्तमान स्वीकृति ₹ दो करोड़ दस लाख अठाइस हजार मात्र)

3. ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0- 438(P)/XXVII(4)/2011, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति सें जारी किये जा रहे हैं.

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

संख्या- 671 (1)/X-2-2012, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
7. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
8. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल.
9. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
11. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
13. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
14. गार्ड फाइल.

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

आय-व्ययक प्रपत्र-15

पुनर्विनियोग विवरण पत्र 2011-12 अनुदान संख्या-27 राजस्व लेखा आयोजनागत

नियंत्रक अधिकारी-अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड

(धनराशि रू0 हजार में)

क0 सं0	बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि		लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-1 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
	1	2	3	4		5	6	7	8
1-	2406-वानिकी तथा वन्य जीव 01-वानिकी 102-समाज तथा फार्म वानिकी 06-00-रोजगारपरक वृक्षारोपण योजना-टैक्सास, बकाटा, च्यूरा, त्रिफला आदि जड़ी बूटियों का रोपण					2406-वानिकी तथा वन्य जीव 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 0109-13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण			क-शासनादेश सं0-2084/दस-2-2011-12(31)/2007 दिनांक 09-12-2011 से काफलम-6 में पूर्व में रू0 69351 हजार का पुनर्विनियोग हुआ है।
	24-वृहत निर्माण कार्य					24-वृहत निर्माण कार्य			ख-वर्तमान में कॉलम-5 के अनुसार पुनः पुनर्विनियोग प्रस्तावित है।
	20000	3977	23	16000		21028	150379	4000	
2-	2406-वानिकी तथा वन्य जीव 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 04-00-आरक्षित तथा सिविल सोयम वनों का विकास								
	24-वृहत निर्माण कार्य								
	70000	13918	51054	5028				64972	
योग	90000	17895	51077	21028		21028	150379	68972	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 155 एवं 156 में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है.

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-4
संख्या- 438(1)/XXVII(4)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2012

पुनर्विनियोग स्वीकृत
(डा0 एम0सी0जोशी)
अपर सचिव (वित्त)

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2
संख्या-671 (2)/X-2-2012-12(31)/2007 दिनांक 30 मार्च, 2012

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून.
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
5. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.

आज्ञा से,
(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव